कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून

पत्रांकः–कृ0नि0/ 589 /स्था0/वार्षिक स्थाना0अधि0/2019–20/दिनांक 08/05/19

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
कृषि विभाग, उत्तराखण्ड।

विषयः– 'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017' के तहत वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2019–20 में कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

'उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017' के तहत वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2019–20 में कार्मिकों के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 के कार्मिकों के सुगम–दुर्गम कार्यस्थलों पर अवधि का विवरण एवं पात्र कार्मिकों की सूची उत्तराखण्ड/विभागीय वैबसाईट में अपलोड कर दी गई है। समस्त कार्मिक अपलोड की गई सूची में अपने से सम्बन्धित सुगम व दुर्गम कार्यअवधि का परीक्षण कर लें। यदि किसी कार्मिक को सुगम व दुर्गम कार्य अवधि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य सहित उचित माध्यम से निदेशालय को तीन दिवस के भीतर उपलब्ध करायें।

स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक अपलोड की गई सूची में अंकित वास्तविक व संभावित रिक्तियों में से तैनाती हेतु वरीयताक्रम में अधिकतम 10 विकल्प निदेशालय को भेजें तथा जो कार्मिक स्वयं के अनुरोध पर स्थानान्तरण चाहते हैं वे भी इच्छित 10 विकल्प वरीयताक्रम में एक सप्ताह के भीतर उचित माध्यम से निदेशालय को भेजना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त अधिनियम में अनिवार्य स्थानान्तरण में वर्णित छूट की श्रेणी में आने वाले कार्मिक स्थानान्तरण में छूट के सम्बन्ध में स्वयं का प्रार्थना–पत्र तथा सक्षम स्तर से जारी प्रमाण–पत्र/साक्ष्य उचित माध्यम से उपलब्ध करायें ताकि तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड

पत्रांकः–कृ0नि0/ /स्था0/वार्षिक स्थाना0अधि0/2019–20/दिनांक

प्रतिलिपिः– निदेशालय में कार्यरत श्रेणी–1 एवं श्रेणी–2 के कार्मिकों को उपरोक्तानानुसार परिपालनार्थ।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड